Audit Report of the Super Bazar

7. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DIS TRIBUTION be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3268 given in the Rajya Sabha on the 22nd March, 1993 and State :

(a) whether it is a fact that a prelimi nary internal audit report of the Super Bazar has brought to light a racket in its wing;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the total amount involved in the racket;

(d) whether any probe has been ordered into the racket;

(e) if so, the findings thereof;

(f) whether any action has been taken against the persons involved; and

(g) if not, the reasons therefor *1*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DIS TRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) Super Bazar has reported that their internal audit report brought to light a case in which supplies worth Rs. 11.78 lakhs were reported to have been made by the Super Bazar to the Indian Agricultural Research Institute from the Patel Nagar Branch on credit, but the Institute denied the receipt of these supplies.

(d) to (g) The case was initially investigated by the Super Bazar was later handed over to the Deputy Commissioner of Police (Crime) Delhi who is investigating the case. The concerned officials have been placed under suspension. One official and two outsiders were also arrested by the Police but subsequently released on bail.

आय के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाना

8. श्री सोम पाल :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 1 मार्च, 1993 को राज्य सभा में उत्तरांकित प्रश्न संख्या 679 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों और अमीर लोगों को अलग-अलग राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या माप-दण्ड अपनाया गया है;

(ग) ऐसे अलग-अलग राशन कार्ड जारी किए जाने के पश्चात् राशन की दुकानों से किस किस्म के गेहूं की सप्लाई की जा रही है; और

(घ) उपभोक्ता को सप्लाई की जा रही राशन की क्वालिटी में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इनका परिणाम कब तक परिलक्षित होने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में अमीर तथा गरीब लोगों के लिए अलग-अलग राशन कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, की उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिए खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं ।